

न्यायालय उप जिला कलेक्टर

फर्द अहकाम

दिनांक

२५ ^२/_{२०२५}

पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित
 नहीं। जलजल में बार-बार वादी व वादी वकील
 को आवाज दिलवायी गयी। आवाज मिलने
 में बावतूद वादी व वादी वकील उपस्थित
 नहीं। फिलहाल जाहिर हो रहा है कि वादी व
 वादी वकील उकरण आगे चलने में लगे हैं।
 ले रहे हैं। अतः अ. नं. १६९/१५ द्वारा विनियमन काम
 उगाही अदम वपरी व अदम पेशनी में शक्ति किया
 जाता है। पत्रावली के अंत में गार डेडर अदम वपरी

उपस्थान अधिकारी
 इण्डियन (कॉल.)